रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2011/वैशाख 28, 1933

No. 904] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2011/VAISAKHA 28, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2011

का.आ. 1101(अ).—केन्द्रीय सरकार ने वेल्लौर सिटिजेन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा फाईल की गई 1991 की रिट याचिका सं. 914 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 671(अ) द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य हेतु पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए किया था, अर्थात् :—

(क) प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और ऐसे व्यष्टिकों और कुटुम्बों की, जो प्रदूषण के कारण ग्रस्त हुए हैं, पहचान करना तथा उक्त व्यष्टिकों और कुटुम्बों को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण करना;

(ख) प्रदूषणकर्ताओं से नुकसानग्रस्त पर्यावरण को प्रत्यावर्तित करने की लागत के रूप में वसूल किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करना;

(ग) प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने से बचने या इंकार करने की दशा में प्रदूषणकर्ता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रबंधित किसी उद्योग या उद्योगों के किसी वर्ग को बंद करने का निदेश देना;

और केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किए थे, जिसके द्वारा प्राधिकरण का कार्यकाल विस्तारित हुआ था;

और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में वेल्लौर सिटिजेन्स वेलफेयर द्वारा फाइल की गई 2006 की रिट याचिका में यह निदेश चाहा था कि उपरोक्त प्राधिकरण को स्थायी प्राधिकरण बनाया जाए और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने उक्त रिक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान यह आदेश किया था कि उक्त प्राधिकरण का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाए;

और माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 13-12-2010 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि—

"उपरोक्त परिसर में, हम मामले को 18 फरवरी, 2011 तक स्थागित करते हैं तब तक वर्तमान प्राधिकरण, कार्य करना जारी रखेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है । इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 28-2-2011 नियत की जाती है ।"

और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 106(अ) तारीख 18 जनवरी, 2011 द्वारा प्राधिकरण का कार्यकाल 28 फरवरी, 2011 तक बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष और एक शपथपत्र फाइल किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उसी पर विचार करने के पश्चात् तारीख 28 फरवरी, 2011 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि—

"पहली न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 13 दिसम्बर, 2010 के आदेश को अगले आदेशों तक विस्तारित किया जाता है" ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुपालन में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3

की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में "चौदह वर्ष पांच माह की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "अगले आदेशों तक" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. जेड-20018/4/2002-सीपीए]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण का गठन करने वाली अधिसूचना सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 710(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1996; का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई, 1998; का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998; का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999; का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001; का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी, 2002; का.आ. 348(अ), तारीख 28 मार्च, 2002; का.आ. 1044(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002; का.आ. 1063(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2004; का.आ. 1432(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004; का.आ. 1639(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006; का.आ. 50(अ), तारीख 17 जनवरी, 2007; का.आ. 506(अ), तारीख 31 मार्च, 2007; का.आ. 1007(अ) तारीख 22 जून, 2007; का.आ. 1556(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2007; का.आ. 1677(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007; का.आ. 2228(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2007; का.आ. 2979(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2008 और का.आ. 106(अ), तारीख 18 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2011

S.O. 1101(E).—Whereas, in pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. No. 914 of 1991 filed by Vellore Citizens Welfare Forum V/s. Union of India and Others, the Central Government constituted the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as Authority) for a period of two years *vide* notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996, under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) to perform the following functions amongst others namely :—

(a) to assess the loss to the ecology and environment in the affected areas and also identify the individuals and families who have suffered because of the pollution and assess the compensation to be paid to the said individuals and families;

(b) to determine the compensation to be recovered from the polluters as cost of reversing the damaged environment;

(c) to direct the closure of any industry or class of industries owned or managed by a polluter in case of evasion or refusal to pay the compensation awarded against the polluter;

And whereas, the Central Government had made amendments from, time to time, in the aforesaid notification thereby extended of the tenure of the Authority;

And whereas, a W.P. No. 23291 of 2006 was filed by the Vellore Citizens Welfare Forum in the Hon'ble High Court of Madras seeking direction that the above said Authority be made a permanent Authority and the Hon'ble High Court of Madras, during the pendency of the said Writ Petition ordered to extend the tenure of the said Authority form time to time.

And whereas, the Hon'ble High Court *vide* its order dated 13-12-2010 held that—

> *"In the aforesaid premises, we adjourn the matter to 28th February, 2011. Till then, present Authority shall continue to function. It is made clear that we have not passed any interim order. The matter is posted for 28-2-2011 for further hearing."*

And whereas, in pursuant to the directions of the Hon'ble High Court of Madras the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, *vide* notification number S.O. 106(E), dated the 18th January, 2011 extended the tenure of the Authority upto 28th February, 2011;

And whereas, the Central Government had further filed an affidavit in the Hon'ble High Court of Madras and upon consideration of the same the Hon'ble High Court of Madras *vide* its order dated the 28th February, 2011 held that—

> *"The order dated 13th December, 2010 passed by the first Bench is extended until further orders".*

Now, therefore, in compliance of the order dated the 28th February, 2011 passed by the Hon'ble High Court of Madras and in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996, namely :—

In the said notification in paragraph 1, for the words "for a period of fourteen years and five months" the words "until further orders" shall be substituted.

[F. No. Z-20018/4/2002-CPA]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* numbers S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996; S.O. 590 (E), dated the 5th July, 1998; S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998; S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001; S.O. 130(E), dated the 28th January, 2002; S.O. 348(E), dated the 28th March, 2002; S.O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004; S.O. 1432(E), dated the 31st December, 2004; S.O. 1639(E), dated the 29th September, 2006; S.O. 50(E), dated the 17th January, 2007; S.O. 506(E), dated the 31st March, 2007; S.O. 1007(E), dated the 22nd June, 2007; S.O. 1556(E), dated the 17th September, 2007; S.O. 1677(E), dated the 28th September, 2007; S.O. 2228(E), dated the 31st December, 2007, S.O. 2979(E), dated the 26th December, 2008 and S.O. 106(E), dated the 18th January, 2011.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.